स्मारिका

विश्व हिन्दी परिषद

द्वारा आयोजित

विश्व हिन्दी दिवस एवं कवि सम्मेलन

10 जनवरी 2018, बुधवार अपराह्न 2.30 बजे

स्पीकर हॉल, कन्स्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली

अतिथिगण

अध्यक्षता
इन्द्रेश कुमार
अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य (आरएसएस)
एवं अध्यक्ष-मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

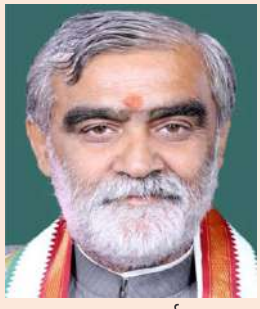

उद्घाटनकर्ता
अश्विनी कुमार चौबे
माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मुख्य अतिथि
आर.के. सिंह
मा. केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
विद्युत मंत्रालय

मुख्य वक्ता
सत्य नारायण जटिया
उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति
एवं सांसद - राज्य सभा

विशिष्ट अतिथि
डॉ. अरुण कुमार
माननीय सांसद-जहानाबाद

विशिष्ट अतिथि
संजीव मिश्रा
वित्त सलाहकार (के.रि.पु.ब.)

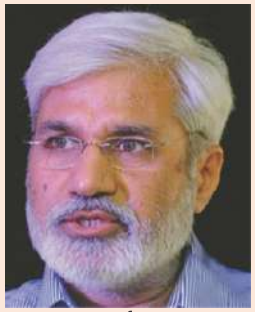

सम्मानार्थ व्यक्तित्व
राहुल देव
वरिष्ठ पत्रकार

संयोजक
डॉ. बिपिन कुमार
महासचिव-विश्व हिन्दी परिषद

एस.1, द्वितीय तल, उपहार सिनेमा व्यावसायिक परिसर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016, फोनः 011-41021455, 9835294766
ई-मेल : mail.hindiparishad@gmail.com, वेबसाईटः www.vishwahindiparishad.org

9015 257 258

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MAKE IN INDIA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

अत्याधुनिक तकनीक एवं अंतरराष्ट्रीय मापदंड के साथ भा.वि.प्रा. का सुरक्षित हाथ

With state-of-the-art technology, International benchmarks You are in safe hands of AAI

129 स्थान जहाँ भरें भा.वि.प्रा. के संग उड़ान
Destinations to FLY with AAI

AAI अपने वर्ग में विश्व का सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता
amongst World's **Best Service Provider** *in its respective category*

23 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (3 सिविल एन्कलेव तथा 3 संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे)
International Airports (3 Civil Enclaves & 3 Joint Venture Airports)

\+

08 कस्टम हवाई अड्डे (4 सिविल एन्कलेव)
Custom Airports (4 Civil Enclaves)

\+

78 अन्तर्देशीय हवाई अड्डे
Domestic Airports

\+

20 अन्य सिविल एन्कलेव
Other Civil Enclaves

=

129 हवाई अड्डे
Airports

समानांतर फ्लैंज सेक्शन्स

इस्पात डिज़ाइन का भविष्य

सेल SAIL

पतली समानांतर बीम्स

चौड़ी समानांतर बीम्स

पहली पसंद

सरंचनात्मक इंजीनियर
वास्तुकार
डिज़ाइनर

उत्पाद	आकार सीमा (एमएम)
पतली समानांतर फ्लैंज (एनपीबी)	100 - 750
चौड़ी समानांतर फ्लैंज (डब्ल्यूपीबी)	100 - 450

सेल के अत्याधुनिक इस्को स्टील प्लांट,
दुर्गापुर स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल) में उपलब्ध

सेल स्टील के लिए कृपया संपर्क करें:

दिल्ली 011-22441825/22421702 rmnr@sail-steel.com मुंबई 022-26571827/26571819 rmwr@sail-steel.com,
कोलकाता 033-22882986/22888556 rmer@sail-steel.com, चेन्नई 044-28285001/28285002 rmsr@sail-steel.com

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

www.sail.co.in www.facebook.com/SAILsteelofficial www.twitter.com/SAILSteel www.instagram.com/steelauthority

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

सत्यमेव जयते

D.O. No. CMH-2018 /.....

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 1-1-2018

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि विश्व हिन्दी परिषद् द्वारा 10 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया जा रहा है । इस अवसर पर 'विश्व हिन्दी परिषद्' स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी।

ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी भाषा और भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को लोकप्रियता की नई ऊँचाइयों पर पहुंचाने का काम करते हैं । इसलिए ऐसे आयोजन नियमित रूप से किये जाने चाहिएं ताकि हम अपनी राष्ट्र भाषा, हिन्दी को जनमानस में प्रचारित व प्रसारित करने के साथ–साथ इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिला सकें ।

हिन्दी न केवल हमारी राष्ट्र भाषा है बल्कि राज भाषा भी है । स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई थी । हिन्दी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस भाषा में नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता और अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की उदारता है । हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य है कि हम अपने रोज़मर्रा के कामकाज में हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

मैं विश्व हिन्दी दिवस के सफल आयोजन की मंगलकामना करता हूँ।

मनोहर लाल

(मनोहर लाल)

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

सत्यमेव जयते
सर्वेसन्तु निरामया

स्वच्छ = भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HEALTH & FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विश्व हिन्दी परिषद द्वारा विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी, 2018 को एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इस संबंध में एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

विश्व हिन्दी परिषद देश और विदेश में हिन्दी भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन और आध्यात्म के प्रचार-प्रसार में पिछले छह दशकों से कार्यरत है। हिन्दी भाषा संबंधी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य यह होता है कि कार्यालय में कार्य करने वाले पदाधिकारी अलग-अलग विषयों पर हिन्दी में सोंचे, आपस में हिन्दी में विचार-विमर्श करें, हिन्दी में मौलिक लेख लिखें और हिन्दी में ही उस पर चर्चा करें ताकि उनके मन में हिन्दी में कामकाज करने में होने वाला संकोच या झिझक दूर हो सके और उनकी मानसिकता को बदला जा सके।

मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हिन्दी प्रेमियों, साहित्यकारों, लेखकों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ अधिकारीगणों को अपने विचारों, अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने का अवसर मिलेगा।

मैं आशा करता हूँ कि इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका में प्रकाशित लेख ज्ञानवर्धक एवं रोचक होंगे और पाठकों को हिन्दी भाषा के प्रति प्रोत्साहित करेंगे।

मैं विश्व हिन्दी दिवस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों और आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ।

(अश्विनी कुमार चौबे)

दिनांक :
स्थान : नई दिल्ली.

Office : 250, 'A' Wing,
Nirman Bhavan, New Delhi-110 011
Tel. : 011-23061016, 011-23061551
Telefax : 011-23062828
E-mail : moshealth.akc@gov.in

Residence :
19, Pt. Ravi Shankar Shukla Lane,
New Delhi-110001
Tel. : 011-2378-2690

आर. के. सिंह
R. K. SINGH

सत्यमेव जयते

विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge)
for Power and New & Renewable Energy
Government of India

संदेश

यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि विश्व हिन्दी परिषद दवारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में प्रचलित भाषाएं अपने-आप में परिपूर्ण हैं एवं पूर्ण अभिव्यक्तिकी क्षमता रखती हैं, परंतु प्रसार एवं प्रयोग की दृष्टि से हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने ऐतिहासिक रूप से देश को एक सूत्र में पिरोया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी हिंदी रही है। इन कारणों से हमारे संविधान में इसे भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आज विश्व के अनेकों देशों के विश्वविदयालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। वैश्वीकरण के कारण भी सभी देश हिंदी का महत्व समझने लगे हैं।

विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न बोली-भाषाओं के बीच कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी भाषा एक सेतु का कार्य करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने आजादी के आंदोलन की भावना को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा को जन जागृति का आधार बनाया था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहाथा कि "अपने व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।" गांधीजी की यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी आजादी के आंदोलन के समय थी।

किन्ही कारणों से हिंदी को यथापेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। हमें इन कारणों को दूर करके जन-मानस की भाषा को वह स्थान दिलवाना है। तब वह दिन दूर नहीं, जब हिंदी अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बनेगी।

विश्व हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सभी कोहार्दिकशुभकामनाएं।

जय हिंद।

(आर.के. सिंह)

नई दिल्ली
दिनांकः०१जनवरी, 2018

Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110 001 Phone : +91-11-23717474, 23710411
Fax : +91-11-23710065, E-mail : raj.ksingh@gov.in

प्रकाश जावडेकर
Prakash Javadekar

सत्यमेव जयते

मंत्री
मानव संसाधन विकास
भारत सरकार
MINISTER
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु सक्रिय संस्था 'विश्व हिंदी परिषद्', नई दिल्ली द्वारा विगत वर्षों की भाँति विश्व हिंदी दिवस (दिनांक 10 जनवरी, 2018) समारोह आयोजित किया जा रहा है तथा इस अवसर पर 'विश्व हिंदी परिषद् स्मारिका' का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

हिंदी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन में परिषद् की उल्लेखनीय भूमिका रही है। विशेष रूप से 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान परिषद् के संस्थापक संरक्षक पद्मश्री डॉ. शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत की गई 'विश्व हिंदी दिवस' की परिकल्पना इस संस्था का महत्वपूर्ण प्रदेय है जिसे अब वैश्विक स्तर पर विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी भाषा-साहित्य एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में किए जा रहे प्रचार-प्रसारपरक कार्यों को आलोकित करने में यह स्मारिका महत्वपूर्ण अभिलेख सिद्ध होगी तथा इसके माध्यम से हिंदी के चिंतन-सृजन-संवर्धन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों को अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम मिलेगा।

विश्व हिंदी दिवस समारोह के सफल आयोजन एवं 'विश्व हिंदी परिषद् स्मारिका' प्रकाशन के लिए आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ

(प्रकाश जावडेकर)

Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115
Phone : 91-11-23782387, 23782698, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.hrd@gov.in

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास,
पंचायती राज और खान मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT,
PANCHAYATI RAJ AND MINES
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

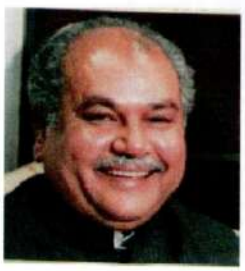

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष है कि विश्व हिन्दी परिषद नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2018 को विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन करने जा रही है । इस अवसर पर स्मारिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है ।

मुझे ज्ञात है कि विश्व हिन्दी परिषद, विश्व में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और इसे उचित सम्मान दिलाने हेतु अथक प्रयास करती रही है । हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने, इसे जन-जन के मन-मस्तिष्क व हृदय पटल पर स्थापित करने और भावनात्मक निकटता बढ़ाने हेतु यह परिषद विगत कई वर्षों से हिन्दी दिवस का आयोजन करती आ रही है । परिषद द्वारा आयोजित विश्व हिन्दी दिवस समारोह के दौरान अनेक हिन्दी प्रेमियों, साहित्यकारों, लेखकों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त होगा । वस्तुत: विश्व हिन्दी परिषद ने अपने उद्भव के बाद अल्पकाल में ही विश्व स्तर पर जनमानस एवं प्रबुद्धजनों के बीच व्यापक लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अर्जित की है।

हिन्दी विश्व के कई देशों और विशेष रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा है । अत: हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसार इस प्रकार करना होगा कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के समस्त तत्वों को भली-भांति अभिव्यक्त किया जा सके । मातृभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग न केवल देश की गरिमा व स्वाभिमान को और बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि हमें देश-विदेश के जन-जीवन के और निकट पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा । आज हिन्दी राजभाषा ही नहीं, विश्वभाषा बनने का गौरव प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है और इसका मुख्य आधार है - इस भाषा की मधुरता, सरलता, सरसता और सहजता । मुझे विश्वास है कि विश्व हिन्दी परिषद विश्व मंच पर राष्ट्रभाषा हिन्दी की गरिमा बढ़ाने और इसे विश्व भाषा के रूप में प्रतिस्थापित कराने के अपने मिशन में कामयाब होगी ।

मैं विश्व हिन्दी परिषद के हिन्दी दिवस समारोह और इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका की सफलता की कामना करता हूं ।

12/12/17

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001
Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001
Ph.: 011-23794697/98, Fax: 011-23794696

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व हिन्दी परिषद द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2018 को आयोजित **विश्व हिन्दी दिवस** समारोह के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है ।

विश्व हिन्दी परिषद द्वारा राष्ट्रीय हितों एवं राजभाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में देश में बोली जाने वाली आम भाषा के उन्नयन एवं उसके विकास हेतु किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं ।

मैं, कार्यक्रम के सफल आयोजन तथा इस अवसर पर प्रकाशित **स्मारिका** की सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ ।

21.12.17

(थावरचन्द गेहलोत)

डॉ0 बिपिन कुमार
महासचिव,
एस-1, द्वितीय तल, उपहार सिनेमा,
व्यावसायिक परिसर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली ।

सत्यमेव जयते

श्रीपाद नाईक
SHRIPAD NAIK

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं
होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
भारत सरकार

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) FOR
AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY
UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)
GOVERNMENT OF INDIA

जनवरी, 2018

<u>संदेश</u>

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विश्व हिन्दी परिषद द्वारा विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन 10 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को विश्व भर में प्रचार-प्रसार तथा उचित सम्मान दिलवाने में विश्व हिन्दी परिषद के संस्थापक संरक्षक पद्मश्री डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी ने अहम योगदान दिया है। विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है जिसका मैं अभिनंदन करता हूं। ऐसे आयोजनों से निश्चत रूप से हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ेगा। इसी सिलसिले में विश्व हिन्दी परिषद स्मारिका भी प्रकाशित कर रहा है।

कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्व हिन्दी परिषद को मेरी ओर से शुभकामनाएं।

SNaik

(श्रीपाद नाईक)

101, AYUSH Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110023

Res. (Delhi) : 1, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Tel: 011-24635396 Fax: 011-24656910

DR. ARUN KUMAR
Member of Parliament
(Lok Sabha)
PRESIDENT: RASTRIYA LOK SAMTA PARTY
Member:
- Standing Committee - Energy
- Standing Committee - Labour
- Consultative Committee - External Affairs

सत्यमेव जयते

171-172, South Avenue
New Delhi-110 011
Phone: 011-23018575
Mobile: 9868180699

Brij Indu Kunj, Ashiyana Mor
Near New Passport Office
Patna, Bihar
Phone: 0612-2581448
Email: drarunkumarjahanabad@gmail.com

दिनांक: 09 जनवरी, 2018

संदेश

प्रिय डॉ. विपिन कुमार जी

मनुष्य का अस्तित्व राष्ट्र के साथ जुड़ा है। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के साथ राष्ट्र की सार्वभौमिकता के लिए तीन मौलिक तत्व हैं- राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस भाषा के विकास के लिए संपूर्ण राष्ट्र से एक स्वर में बल दिया जाना चाहिए। साथ ही जितनी भी लोक भाषाएं हैं, उसके संवर्धन में ही राष्ट्रभाषा का विकास छुपा हुआ है। समस्त लोकभाषा-भाषी लोगों को राष्ट्रभाषा को शक्ति प्रदान करनी चाहिए।

मेरा तो मत है कि हिंदी के संबर्धन में अहिंदी भाषियों का बड़ा योगदान है, इसलिए कभी भी हमें विभेद के चश्में से नहीं देखना चाहिए। अपने हिंदी के विकास के लिए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जिस पत्रिका का प्रकाशन विश्व हिन्दी परिषद करने जा रही हैं, अपने उद्देश्य की सफलता में एक मजबूत कारण बनें, ऐसी मेरी शुभकामना है।

शुभकामनाओं के साथ।

(डा. अरूण कुमार)

प्रभास कुमार झा
सचिव

Prabhas Kumar Jha
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

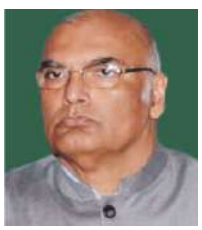

सचिव (राजभाषा)/विविध/2018

दिनांक : 02 जनवरी, 2018

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व हिन्दी परिषद हिन्दी के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार का सराहनीय कार्य कर रही है और 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस और 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन पिछले कई सालों से करती आ रही है। ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी भाषा, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं।

देश को एकता के सूत्र में बांधने में हिन्दी भाषा बेहद सशक्त माध्यम है। ज्ञान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी निरंतर प्रगति कर रही है और इस प्रक्रिया को हमें तेजी से आगे बढ़ाना है। इस मुहिम में हम सबका योगदान अपेक्षित है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की तरफ से मैं विश्व हिन्दी परिषद को 10 जनवरी, 2018 को आयोजित हो रहे विश्व हिन्दी दिवस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं।

(प्रभास कुमार झा)

हिंदी की विकास यात्रा

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति मानी जाती है। इसकी प्राचीनता का एक प्रमाण यहां की भाषाएं भी है। भाषाओं की दृष्टि से कालखंड का विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. वैदिक संस्कृति
2. नैतिक संस्कृति
3. पाली
4. प्राकृत
5. अपभ्रंश तथा अलृत्त
6. हिन्दी का आदिकाल
7. हिन्दी का मध्यकाल
8. हिन्दी का आधुनिक काल

हिन्दी शब्द की उत्पत्ति 'सिन्धु' से जुड़ी है सिंधु सिंध नदी को कहते हैं। सिन्धु नदी के आस–पास का क्षेत्र सिन्धु प्रदेश कहलाता है। संस्कृति शब्द ''सिन्धु'' ईरानियों के सम्पर्क में आकर हिन्दू या हिंद हो गया। ईरानियों द्वारा उच्चारित किए गए इस हिंद शब्द में ईरानी भाषा का ''एक'' प्रत्यय लगने से ''हिन्दीक'' शब्द ''इंडिका'' या अंग्रेजी शब्द ''इंडिया'' इसी ''हिन्दीक'' के ही विकसित रूप हैं।

हिन्दी का साहित्य 1000 ई० से प्राप्त होता है। इससे पूर्व प्राप्त साहित्य अपभ्रंश में है इसे हिंदी की पूर्व पीठिका माना जा सकता है। आधुनिक भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से इस प्रकार से हुआ हैः–

1. अपभ्रंश – आधुनिक भाषाएं
2. शौरसेनी – पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती
3. पैशाची – लहंदा, पंजाबी
4. ब्राचड – सिंधी
5. महाराष्ट्री – मराठी
6. मगधी – बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया
7. पश्चिमी हिंदी – खड़ी बोली, ब्रिज, हरियाणवी, बुन्देल, कन्नौजी
8. पूर्वी – अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
9. पहाड़ी – पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमाऊनी–गढ़वाली)
10. बिहारी – भोजपुरी, मगधी, मैथिली

आदिकाल : 1000 – 1500 ई

अपने प्रारंभिक दौर में हिन्दी सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, इसी अपभ्रंश से हिन्दी का जन्म हुआ है। प्रारंभिक 1000 से 1100 ईसवी के आस–पास तक हिन्दी अपभ्रंश के समीप ही थी। इसका व्याकरण भी अपभ्रंश के समान काम कर रहा था। धीरे–धीरे परिवर्तन होते हुए और 1500 ई० आते–आते हिंदी स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई। 1460 के आस–पास देश भाषा में साहित्य सर्जन प्रारंभ हो चुका था। इस अवधि में दोहा, चौपाई, घप्पय दोहा, गाथा आदि छंदों में रचनाएं हुई है। इस समय के प्रमुख रचनाकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नालह, चंदबरदाई, कबीर आदि हैं।

मध्यकाल : 1500 – 1800 ई तक

इस अवधि में हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए। देश पर मुगलों का शासन होने के कारण उनकी भाषा का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500 शब्द, पश्तो से 50 शब्द, तुर्की के 125 शब्द हिंदी की शब्दावली में शामिल हो गए। यूरोप के साथ व्यापार आदि से संपर्क बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश हिंदी में हुआ। मुगलों के आधिपत्य का प्रभाव भाषा पर दिखाई पड़ने लगा था। मुगल दरबार में फारसी पढ़े–लिखे विद्वानों को नौकरियां मिली थी परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे लोग हिंदी की वाक्य रचना फारसी की तरह करने लगे। इस अवधि तक आते–आते अपभ्रंश का पूरा प्राभाव हिंदी से समाप्त हो गया जो आंशिक रूप में जहां कहीं शेष था वह भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढ़लकर हिंदी का हिस्सा बन रहा था।

इस अवधि में हिंदी के स्वर्णिम साहित्य का सृजन हुआ। भक्ति आंदोलन ने देश की जनता की मनोभावना को प्रभावित किया। भक्ति कवियों में अनेक विद्वान थे जो तत्सम मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे। राम और कृष्ण का जन्म स्थान की ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई, जो इस काल के साहित्य की मुख्यधारा

मानी जाती है। इसी अवधि में दखिनी हिंदी का रूप सामने आया। पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी रचनाएं लीखी जा रही थी। इस काल के मुख्य कवियों में महाकवि तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी, भूषण हैं। इसी कालखण्ड में रचा गया ''रामचरित मानस'' जैसा ग्रन्थ विश्व में विख्यात हुआ।

आधुनिक काल : 1800 ई से अब तक

हिंदी का आधुनिक काल देश में हुए अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। परतंत्रता में रहते हुए देशवासी इसके विरूद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा और संस्कृति पर दिखाई पड़ने लगा। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हिंदी के साथ बढ़ने लगा। मुगलकालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी, फारसी शब्दों के प्रचलन में गिरावट आई। इस पूरे कालखंड को 1800 से 1850 ई० तक और फिर 1850 से 1900 ई० तक तथा 1900 से 1910 तक और 1930 से 2000 तक विभाजित किया जा सकता है।

1830 ई० में जनमें मुंशी सदासुख लाल नियाज ने हिंदी खड़ी बोली को प्रयोग में लिया। खड़ी बोली उस समय भी अस्तित्व में थी। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर से मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, है। इस बोली में पर्याप्त लोक गीत और लोक कथाएं मौजूद हैं। खड़ी बोली पर ही उर्दू, हिन्दुस्तानी और दक्खनी हिंदी निर्भर करती है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज के अलावा इंशा अल्लाह खान इसी अवधी के लेखक है। लल्लू लाल इस काल खंड के एक और प्रसिद्ध लेखक हैं। लल्लू लाल जी ने पुस्तक ''प्रेम सागर'' खड़ी बोली में लिखी है। प्रेम सागर के अलावा सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक भी इनकी पुस्तक में हैं जो खड़ी बोली में ब्रज औ उर्दू के मिश्रित रूप में हैं। इसी कालखण्ड के एक और लेखक सदल मिश्र है। इनकी निधि के वाख्यान पुस्तक प्रसिद्ध है। सदल मिश्र ने अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग न के बराबर किया है। खड़ी बोली में लिखी गई इस पुस्तक में संस्कृत के शब्द अधिक है। 1860 मे आसपास तक हिंदी गद्य प्रायः अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुका था।

इसका लाभ लेने के लिए अंग्रेजी पादरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार–प्रसार के लिए बाईबल का अनुवाद खड़ी बोली में किया। यद्यपि इनका लक्ष्य अपने धर्म का प्रचार–प्रसार करना था। तथापि इसका लाभ हिन्दी को मिला, देश की साधारण जनता अरबी–फारसी मिश्रित भाषा में अपने पौराणिक आख्यानों की कहती और सुनती थी। इन पादरियों ने भी भाषा के इसी मिश्रित रूप का प्रयोग किया। अब तक 1857 का पहला स्वतंत्रा युद्ध लड़ा जा चुका था। अतः अंग्रेजी शासकों की कुटनीति के सहारे हिंदी के माध्यम से बाइबल के धर्म उपदेशों का प्रचार–प्रसार खूब हो रहा था। भारतेन्दु हरिशचंद ने हिंदी नवजागरण की नींव रखी। उन्होंने अपने नाटकों, कविताओं, कहावतों और किस्सागोई के माध्यम से हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए खूब काम किया। अपने पत्र ''कवि वचन सुधा'' के माध्यम से हिंदी का प्रचार–प्रसार किया। भारतेदु हरिशचंद ने कविता को ब्रज भाषा से मुक्त किया, उसे जीवन यथार्थ से जोड़ा।

सन 1866 की अवधि के लेखकों में पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित नारायण मिश्र, बाबू तोता राम, ठाकुर नगमोहन सिंह, पंडित बाल कृष्ण भट्ट, पंडित केशवदास भट्ट, पंडित अम्बिकादास ब्यास, पंडिता राधारमण गोस्वामी आदि आते हैं।

1900 वीं सदी का आरम्भ हिन्दी भाषा के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय देश का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारम्भ हुआ था। राष्ट्र में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। इनमें से कुछ गुप्त और कुछ प्रकट थे पर इनका माध्यम हिन्दी ही था। अब हिन्दी केवल उत्तर भारत तक सीमित नही रह गई थ। हिंदी अब पूरे भारतीय आन्दोलन की भाषा बन चुकी थी। साहित्य की दृष्टि से बंगला, मराठी, हिन्दी से आगे थीं परन्तु बोलने बाले के लिहाज से हिन्दी सबसे आगे थी। इसलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने की पहल गांधी जी समेत देश के अन्य नेता भी कर रहे थे। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सन 1900 – 1950 तक हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया इनमें मुंशी प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रकुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराली, सुमित्रानंदन पन्त, महादेवी वर्मा आदि है।

–प्रो॰ मंजू राय

हिन्दी की संवैधानिक स्थिति

संभवतः विश्व के किसी भी देश के संविधान में राजभाषा के संबंध में इतना विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता जितना भारत के संविधान में हिन्दी राजभाषा के संबंध में मिलता है। संसद की भाषा से लेकर राज्यों की स्थानीय सरकारों की भाषा तक के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख और प्रावधान किया गया है। संघ की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 (1) में व्यवस्था की गई है जिसमें कहा गया है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।' संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है जो हिन्दी के राजभाषा के रूप में विकसित करने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसी अनुच्छेद में यह भीप्रावधान है कि उक्त सिफारिशों की समीक्षा एक संसदीय समिति करेगी और तत्पश्चात ही सरकार आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में है, जिसमें कहा गया है किप्रत्येक राज्य की राजभाषा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली कोई एक भाषा या अनेक या हिन्दी होगी। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों या परस्पर राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा का निर्देश है। इसके अनुसार संघ की प्राधिकृत राजभाषा ही परस्पर दो राज्यों के बीच या संघ और राज्य के बीच पत्रचार की भाषा होगी। इसका अभिप्राय यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त होने के कारण इनमें से किसी भाषा में उक्त पत्राचार किया जा सकता है। किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 347 में किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय आदि की भाषा के संबंध में प्रावधान 348 में किया गया है। अनुच्छेद 349 संविधान में भाषा संबंधी विधियों को विनियमित करने के संबंध में है। हिन्दी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
भारत को उसकी अपार
जलविद्युत क्षमता से लाभान्वित कर रहा
एनएचपीसी
मिनी रत्न श्रेणी–1 का दर्जा प्राप्त
भारत सरकार का उद्यम
जलविद्युत परियोजनाओं की
परिकल्पना से संचालन तक का 40 वर्षों से
अधिक का अनुभव
विदेशों में परामर्शी सेवाओं के माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत
कुल 28 लाभभोक्ता राज्य/संघशासित क्षेत्र/
वितरण कंपनियां
वर्ष 2016–17 के दौरान 23275 मिलियन
यूनिट विद्युत उत्पादन
एनएचपीसी
NHPC
एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564 । वेबसाइट: www.nhpcindia.com
Follow NHPC at: NHPCIndiaLimited nhpcltd nhpclimited

ऊर्जा जो जीवन को समर्थ बनाए

हमारी ऊर्जा और सहायता लोगों के जीवन को उज्ज्वल और सक्षम बनाती है

समाज में एक रचनात्मक भागीदार के रूप में कार्यरत, पीएफसी निम्नलिखित कार्यों में वित्तीय सहायता के माध्यम से, अपने सामाजिक दायित्व के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, ठोस कदम उठा रहा है:

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और ईडब्ल्यूएस तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को सहायता
- सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे सोलर लालटेन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पीवी सिस्टम उपलब्ध कराना
- पिछड़े और दूरदराज़ क्षेत्रों में घरेलू प्रकाश प्रणालियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
- विद्यालयों और पिछड़े जिलों में स्थित गाँवों, जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है, में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण
- प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में सुविधाओं का अनग्रेडेशन
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता
- प्रायोजन सहायता के माध्यम से शिक्षा, कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य, खेल आदि को बढ़ावा

स्वास्थ्य | कौशल विकास | स्वच्छता और जल | पी एफ सी PFC | शिक्षा | सामाजिक विकास | पर्यावरण

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001;
फोन : 23456000; फैक्स: 23412545; वेबसाइट: **www.pfcindia.com**

जीवन को शक्ति, भारत को शक्ति

उसके शब्द–भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।' इस प्रकार उक्त अनुच्छेद में जहां एक ओर हिन्दी के विकास का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है वहीं राजभाषा के स्वरूप को भी विनिर्दिष्ट किया गया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है (संविधान बना उस समय इनकी संख्या 14 थी)और अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा तथा अनुच्छेद 210 में विधानसभाओं की भाषाओं के बारे में उल्लेख है।

राजभाषा आयोगः संविधान के अनुच्छेद 344 में किए गए प्रावधान के अनुसार 1955 में श्री बी.जी. खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसमें अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषा–भाषियों के विद्वानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस आयोग को अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी करनी थी कि संघ के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अंग्रेजी का प्रयोग धीरे–धीरे कम करतेहुए बंद किया जाए।

आयोग को अपनी सिफारिशें देते समय यह भी ध्यान में रखना था कि अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के लोगों के उचितअधिकार और हित सुरक्षित रहें। आयोग ने भारतीय भाषाओं की स्थिति, भारत में भाषा की समस्या और उसके समाधान का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, विधि और न्यायालयों की भाषा, संघ की भाषा और लोकसेवा परीक्षाएं, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं काप्रचार और विकास, राष्ट्रीय भाषा संबंध कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संस्थाओं की व्यवस्था आदि अनेक विषयों के विभिन्न पहलुओं की जांच की और उन पर विचार–विमर्श के पश्चात 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। उक्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई।

राजभाषा समितिः संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार वर्ष 1957 में 30 सदस्यों (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) की संसदीय समिति का गठन किया गया ताकि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करके उनके संबंध में समिति अपनी राय राष्ट्रपति को पेश कर सके। तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुए व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी।

संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट पर सितम्बर, 1959 में विचार–विमर्श हुआ। संसद में हुए इसी विचार–विमर्श के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण मोटे तौर पर स्पष्ट करते हुए इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी को सहभाषा या अतिरिक्त भाषा बनाया जाना चाहिए और कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ अथवा अन्य राज्य सरकारों के साथ पत्र–व्यवहार में इसका प्रयोग कर सकती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी का प्रयोग बंद करने के लिए सहमत न हो जाएं तब तक इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार राजभाषा आयोग की रिपोर्ट और संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों के परिणामस्वरूप यहतय कर दिया गया कि 1965 के बाद भी हिन्दी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जाए।

राष्ट्रपति का आदेश (प्रारंभिक उपायों के संबंध में) 1960ः राजभाषा समिति की सिफारिशों को ध्यानमें रखते हुए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (6) के अधीन उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करतेहुए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक उपायों के संबंध मेंअप्रैल, 1960 में एक आदेश जारी किया।

राजभाषा अधिनियम 1963

संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि तक संघ सरकार के समस्त कामकाज अंग्रेजी में ही यथावत किए जाते रहेंगे और 26 जनवरी, 1965से अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले लेगी। अतरू जैसे–जैसे पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख नजदीक आने लगी–अंग्रेजी समर्थक प्रशासक वर्ग के मन में बेचौनी होने लगी और भाषायी मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि राजभाषा अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी के प्रयोग को अनन्त काल तक मान्यता दे दी गई।

राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधन किया गया। यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा 3 है। इसमें यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष कीअवधि बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी भाषा नियत दिन से संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए संसद के कार्य के संव्यवहार के लिए हिन्दी के साथ–साथ प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी, जिसके लिए उस नियतदिन से पहले इसे प्रयोग में लाया जाता था। इसमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों अथवा कार्यालयों के बीच पत्रादि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में निर्दिष्ट कतिपय दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग संबंधी उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने के लिए उन सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संकल्प पारित न हो जाएं जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करते हुए ऐसी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित न कर दिया जाए।

इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण धारा–4 में यह व्यवस्था है कि 26 जनवरी, 1965 से 10 वर्षों कीसमाप्ति पर राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति से संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आशय का संकल्प रखे जाने और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पारित किए जाने पर राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में 30 सदस्य (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन आनुपातिक आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्घति के अनुसार होगा। इस समिति को संघ के शासकीय प्रयोजनों केलिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने और इस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया। यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति यह प्रतिवेदन संसद के दोनोंसदनों में रखे जाने और सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने की व्यवस्था करवाएंगे। राष्ट्रपति उपर्युक्त रिपोर्ट पर और राज्य सरकारों ने यदि रिपोर्ट पर कोई मत व्यक्त किए हैं, उन पर विचार करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके किसी अंश के अनुसार निर्देश जारी करेंगे। तथापि ये अनुदेश अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे। अन्य बातों के साथ–साथ अधिनियम, 1963 ने संघ सरकार की राजभाषा नीति की रूपरेखा निश्चित कर दी और इसके अनुसार सरकारी कामकाज में द्विभाषिकता के युग का सूत्रपात हुआ जो पता नहीं कब तक चलेगा।

राजभाषा संकल्प 1968ः दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित किया जो राजभाषा संकल्प के नाम से जाना

जाता है। यह संकल्प जनवरी, 1968 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार यह निदेश दिया गया है कि हिन्दी के प्रसार और विकास की गति तेज करने और संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा किए गए उपायों और की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाए और सब राज्य सरकारों को भेजी जाए। इसी के अनुपालन में प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग द्वारा एक राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाता है।

इस संकल्प के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए और उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन केलिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, के उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भरती करने के लिए उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम 1976: राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए अब तक जो उपाय किए गए हैं उनमें राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन बनाए गए और जून, 1976 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए राजभाषा नियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। 23 इन नियमों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। 'क' क्षेत्र में हिन्दीभाषी क्षेत्र बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा संघ शासित क्षेत्र चंड़ीगढ, दमण दीव और दादरा नगर हवेली शामिल है। 'ग' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इन नियमों में राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्र–व्यवहार, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों आदि द्वारा अभ्यावेदन और आवेदन कार्यालयों में टिप्पणी आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि हिन्दी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में ही दिए जाएंगे। यह भी प्रावधान किया गयाहै कि सभी नियम पुस्तकें, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लास्टाइल कराया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों, सभी नामपट्टों, पत्रशीर्षों और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखित, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। इननियमों के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों का पूर्णतः और समुचितरूप से अनुपालन हो रहा है।

राजभाषा हिन्दी की वर्तमान स्थिति

राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास करने और उसे प्रायोगिक स्तर पर समर्थ और सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपक्रमों और प्रयासों से हिन्दी ने अनेक सोपान पार किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों यथा आयुर्विज्ञान, इंजीनियरींग, प्रशासन, वाणिज्य आदि आवश्यक शब्दावली निर्माण से लेकर यांत्रिक सुविधाओं तक हिन्दी की समृद्धि की एक लंबी विकास यात्रा रही है।

आज लगभग प्रत्येक कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले मैनुअल, फार्म, संदर्भ और प्रक्रिया साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर पर वे सभी काम हिन्दी में करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो किसी भी अन्य भाषा में किए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हिन्दी पदों का सृजन किया गया है और लगभग हर छोटे–बड़े कार्यालय में हिन्दी अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति करके प्रशासन में हिन्दी प्रयोग को गति देने के आवश्यक उपाय किए गए हैं।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए विभिन्न एजेंसियों, समितियों का गठन किया गया है और सरकार का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, कार्यालयों में तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट मंगाकर उसमें दर्शाए आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करता है और आवश्यक उपाय करता है। इस प्रकार निस्संदेह राजभाषा हिन्दी का प्रयोग और प्रचार–प्रसार बढ़ा है यद्यपि इसकी गति कदाचित धीमी रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर पर वे सभी काम हिन्दी में करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो किसी भी अन्य भाषा में किए जा सकते हैं।

एन बी सी सी
NBCC
नवरत्न सीपीएसई

राष्ट्र की ऊँची शान हमारी पहचान

विश्वस्तरीय निर्माण व्यवसायरत कंपनी, संधारणीयता, गुणवत्ता, ग्राहक संबंधों एवं अनुक्रियाशीलता के वैश्विक स्तरों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

प्रचालन के क्षेत्र

- **परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)**
  पुनर्विकास, इंस्टीट्यूशनल, हाउसिंग एवं इंडस्ट्रीयल सेक्टर, सड़क, अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा, पुल इत्यादि।
- **रियल एस्टेट विकास**
  कमर्शियल्स, निगमित कार्यालय भवन, टाउनशिप एवं आवासीय अपार्टमेन्ट्स का निर्माण शामिल है।
- **ईपीसी संविदा**
  पावर प्रोजेक्टों के लिए सिविल एवं संरचनागत कार्य।

सफल परियोजनाएं

• मोतीबाग–जीपीआरए विशाल ग्रीन होम कॉम्प्लेक्स (दिल्ली) • आयकर भवन, नोएडा (उ.प्र.) • कोल इंडिया भवन (कोलकाता) • 5 स्टार प्रमाणित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुड़गाँव (हरियाणा) एवं लीबिया, इराक, यमन, नेपाल, मालदीव, मॉरीशस, तुर्की, बोत्सवाना जैसे देशों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

Bubna 0717/07

एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(पूर्व नाम नेशनल बिल्डिंग्स कंट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 । सीआईएन-L74899DL1960GOI003335, वेबसाइट : www.nbccindia.com
हमें फॉलो करें /officialNBCC @officialNBCC

कार्य में नव प्रवर्तन तथा उत्कृष्टता

विश्व हिन्दी दिवस समारोह : 2016

हिन्दी दिवस समारोह : 2016

विश्व हिन्दी दिवस 2017 की झलकियाँ

हिन्दी दिवस 2017 की झलकियाँ

एक बार फिर

विजय

वापस हमारे पास

एनटीपीसी को चुना गया है **'Great Place to Work'** फिर एक बार

Great Place to Work Institute ने फिर एक बार चुना है एनटीपीसी को **Great Place to Work I** अपने **'people first'** दृष्टिकोण और विकास के लिए हमेशा पहल करने वाला एनटीपीसी आज भारत में सबसे पसंदीदा नियोक्ताओं में से एक है।

एनटीपीसी NTPC

एनटीपीसी लिमिटेड

www.ntpc.co.in

सीआईएन : L40101DL1975GOI007966

Follow us on: /ntpc1 | /ntpcltd1 | /ntpclimited | /company/ntpc

गेल (इंडिया) लिमिटेड

लाएं
ताज़गी भरा बदलाव

- हरित ईंधन प्राकृतिक गैस अपनाएं
- सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें
- प्रदूषण-मुक्त वातावरण बनाएं

Hawa Badlo

#HawaBadlo

www.changetheair.org

#HawaBadlo